



# उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि०

साई काम्प्लेक्स सी०पी०-25 कोर्ट ऑफ वार्ड, मुन्शी प्रेमचन्द्र पार्क के सामने, बेतियाहाता, गोरखपुर

Web : [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com)

औद्योगिक क्षेत्र, खलीलाबाद में "जहाँ है जैसा है" के आधार पर औद्योगिक भूखण्ड प्राप्त करने का अवसर

| क्र.स. | औद्योगिक क्षेत्र का नाम    | उपलब्ध भूखण्डों का विवरण                         |        | प्रीमियम दर (प्रति वर्गमी०) | आवेदन पत्र के साथ देय धनराशि |                          | आवण्टन तिथि से 30 दिनों के अन्दर देय धनराशि | अवशेष धनराशि हेतु ब्याज सहित किरातों की संख्या | भूमि उपयोग | आवेदन हेतु अन्तिम तिथि | आवण्टन प्रक्रिया   |
|--------|----------------------------|--|--------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|------------|------------------------|--------------------|
|        |                            | क्षेत्रफल श्रेणी (वर्ग मी० में)                  | संख्या |                             | लोकेशन चार्ज अतिरिक्त        | प्रोसेसिंग फीस (रु० में) |   |  |            |                        |                    |
| 1.     | खलीलाबाद जिला-संत कबीर-नगर | भूखण्ड सं० डी-56 एवं डी-57 प्रलोक 1800 वर्ग मीटर | 02     | 1500-00                     | 1000-00                      | 5%                       | 5%  | 10   | औद्योगिक   | 29.12.14               | निगम के नियमानुसार |

**नियम एवं शर्तें :** 1. भूखण्ड पुलिस विभाग के अवैध कब्जे में है। 2. भूखण्ड का आवंटन यथा स्थिति के आधार पर होगा एवं इच्छुक उद्यमी रु० 100/- के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र देते हुए कि "कब्जा प्राप्त करने हेतु वे निगम पर कोई दावा नहीं करेंगे" की सहमति के साथ ही आवेदन कर सकते हैं व भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवेदक को अपने स्तर से यथा आवश्यक समुचित कार्यवाही स्वयं करनी होगी। 3. भूखण्डों हेतु मूल्य रु० 105/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित है, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.12.2014 से दिनांक 29.12.2014 तक पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक प्राप्त कर हस्ताक्षरित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (ले आउट प्लान सहित) व अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ पूर्ण आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर में कार्यालय समय में 29.12.2014 तक जमा किये जा सकते हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। 4. निगम प्रबन्धन को बिना कारण बताये किसी भी आवेदन को अथवा समस्त आवंटन प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा व इस सम्बन्ध में आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। 5. आवंटन पत्र निर्गत करने की तिथि को भूमि की प्रचलित दरें ही लागू होंगी। 6. आवंटन से सम्बन्धित अन्य सूचनायें एवं भूखण्डों का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर तथा निगम की वेबसाइट [www.upsidc.com](http://www.upsidc.com) से भी प्राप्त की जा सकती है।

**क्षेत्रीय प्रबन्धक**